न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–27.02.2026

मिशल संख्या 472/2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :

मोतीराम पुत्र लावाराम जाति कीर उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज०

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक।

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 राज0 रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 5846 मे से भूमि खरीद की थी तथा मोके पर कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थी ने उक्त खरीद शुदा भूमि को कृषि से अकृषि मे संपरिवर्तन करा दिया जिसके हाले खसरा नम्बर 6083/5846 रकबा 0.02 है० बने है। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जो गै० मु० आबादी मे है। खसरा नम्बर 5846 के संपरिवर्तन करने के पश्चात जो नये नम्बर बनाये गये और उनके आधार पर हल्का पटवारी, गिरदावर द्वारा शीट मे तरमीम की गई वह मोके पर पुरानी शीट के आधार पर नही की गई। हल्का पटवारी व गिरदावर ने बिना मोका देखे व बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये ही नक्शा ट्रेस में अपनी मर्जी से तरमीम कर दिया जो बिल्कुल गलत है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 6083/5846 मे पक्की दीवार बना रखी है। इस कारण हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा जो खसरा नम्बर 5848 और उसके जो नये नम्बर बने है उनमे जो तरमीम की गई है उसे निरस्त किया जावे। नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिये न्यायहित मे नक्शा ट्रेस में जो गलत तरमीम की गई है उसे निरस्त कर मोके पर पुरानी शीट के आधार पर पुनः शीट में तरमीम का राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। उक्त त्रुटि भूलवश हुई है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का निवास स्थान व आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा जो खसरा नम्बर 5846 और उसके जो नये नम्बर 6083/5846 बने है उनमे जो नक्शा ट्रेस मे तरमीम की गई है उसे निरस्त कर पुरानी शीट के अनुसार पुनः शीट मे तरमीम कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार दूनी पेरोकार सरकार ने भू0अ0/24/3232 दिनांक 10.07.2024 के जरिए जवाब/रिपोर्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 राज0 रेवेन्यू एक्ट अप्रार्थी पेरोकार सरकार की तरफ से जवाब निम्न

Ruby

प्रकार से प्रस्तुत है :– मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम दूनी सम्वत् 2077 (वर्ष 2020 से स्थायी) खसरा न० 6083/6846 किस्म गै०मु० आबादी रकबा 0.02 है० मोतीलाल पुत्र लायाराम जाति कौर निवासी दूनी व खन्न० 5846/3029 रकबा 0.02 है० किस्मु गै०मु० आबादी मुकेश पुत्र शंकर वगै० निवासी दूनी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ग्राम दूनी के नामान्तरण संख्या 37 निर्णय दिनांक 15.12.90 की छाया प्रति में नामान्तरण की पुश्त पर खसरा न० 5846/3029 रकबा 0.10 है० की तरमीम हो रखी है. जो रोड के लगवा एकजाई है। लड़ठ्ठाशीट जीर्ण–शीर्ण होने से उक्त तरमीम अदृश्य हो चुकी है। वर्तमान डिजिटल शीट में की गई तरमीम व नामान्तरण की पुश्त पर की गई तरमीम का मिलान नहीं होता है। तरमीम सम्बन्धी नजरी नक्शा सलंग्न कर वास्ते प्रस्तावित शुद्धी की अभिशंषा के साथ रिपोर्ट श्रीमान् के सेवा में सादर पेश है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 5846 (नया नंबर 6083/5846) के राजस्व रिकॉर्ड और नक्शा तरमीम में पटवारी व गिरदावर द्वारा त्रुटि की गई है। मौके पर पक्की दीवार और पुराने रिकॉर्ड के बावजूद, डिजिटल शीट में तरमीम बिना मौका देखे और बिना सुनवाई के गलत तरीके से की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पत्रावली व तहसीलदार दूनी की जवाब/रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/24/3232 दिनांक 10.07.2024 और संलग्न नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2074–77 ग्राम दूनी में स्थित खसरा नम्बर 6083/5846 प्रार्थी के नाम दर्ज रिकोर्ड है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि नामान्तरण संख्या 37 दिनांक 15.12.1990 के अनुसार उक्त भूमि रोड के पास एकजाई स्थित थी। रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि मूल लठ्ठा शीट के जीर्ण–शीर्ण होने के कारण पुरानी तरमीम अदृश्य हो गई है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान डिजिटल शीट में की गई तरमीम पुराने रिकॉर्ड 1990 के निर्णय से मेल नहीं खाती है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित शुद्धी के नजरी नक्शे से यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड में तकनीकी त्रुटि विद्यमान है। तहसीलदार जवाब/रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि डिजिटल नक्शा पुराने स्वीकृत नामान्तरण के अनुरूप नहीं है, जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में बल प्रतीत होता है। रिकॉर्ड की शुद्धता बनाए रखना राजस्व न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम दूनी के खसरा नंबर 6083/5846 और संबंधित नंबरों के डिजिटल नक्शे में सुधार करें। उक्त तरमीम को नामान्तरण संख्या 37 दिनांक 15.12.1990 और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप पुरानी शीट के आधार पर दुरुस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)